

फर्द अहकाम

उपखण्ड अधिकाारी चाकडू
 सरकार बनाम मोहम्मद जाफिर जुबैरा
 संख्या / वर्ष : 14 / 2017

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	<p>अतः वादी राज्य सरकार चालिए तहसीलदार तह. चाकडू का वाद सीमांत ज़िन्दा जाकर प्रतिवादियों को विदायत दी जाती है कि इस आदेश की सम्यक तामील से तीन माह के भीतर विवादित सूनि. ख. नं. 492, 493, 496, 497 ज़िन्दा प रक्बा 0.94 है, ग्राम आजमनगर तह. चाकडू को पुनः कृषि उपयोग में परिवर्तित कर ले। यदि तीन माह पश्चात राज्य सरकार द्वारा इस आज्ञा से सम्यक ताम्य प्राधिकारी से नियमानुसार सू-उपयोग परिवर्तन करवाए। जैर कृषि उपयोग जारी रक्बा है, तो विवादित सूनि सूमीधारी यानी राज्य सरकार से निहित समझी जावेगी।</p> <p>इस आदेश की प्रति प्रतिवादीजनों को निशुल्क चालिए जऊ वादी उच क्रिपारर जावे।</p> <p>तहसील जारी हो पत्रावली फलल शुमार होकर दर्ज नम्बर ले कर हो।</p> <p style="text-align: center;">(2)</p> <p style="text-align: center;">उपखण्ड अधिकाारी उपखण्ड, चाकडू (जयपुर)</p>	